

Seventeenth Lok Sabha

an>

Title: Introduction of the Compulsory Teaching of Legal Education in Educational Institutions Bill, 2019.

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of legal education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।